

पता
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलिया।

पत्र संख्या
प्रबन्धक

विशेष प्रमाण पत्र प्रमाणित करने के लिए, मीठर।

दिनांक 04-7-2016
/2014-15
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009 की धारा 10 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम-11 के उपनियम (4) के
अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

उपरोक्त विषयक शारामादेश सं०- 442/79-6-2011 दिनांक 19 मई 2011 के अनुपालन में आयक
केन्द्र वगैरह से कक्षा 1 से कक्षा 8 तक दिनांक 11.07.2013 से दिनांक 30.06.2016 तक तीन वर्षों
के अन्तर्गत के लिए औपबन्धिक मान्यता सम्प्रेषित किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर क्षेत्रीय खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा कौ नद
एक एन एन एन के उपरान्त शासन द्वारा निर्गत राजाज्ञा सं०-418/79-6-2013-18 एस(7)/79 दिनांक
19 मई 2013 के प्रस्तर 15 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत एतद्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक
तक को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की जाती है उक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के भविष्य में
सिद्धमान रहने के अधीन होगी।

1. मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद
मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 (संलग्नक-2) के
उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में, (यथा स्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत
तक पास-पड़ोस के कमजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा
पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा, परन्तु अग्रतर यह कि पूर्व
प्रारम्भिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्निध्यम का पालन किया जायेगा।
4. प्रस्तर के तीन में सम्बन्धित बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12 (2) के अन्तर्गत
आच्छादित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के
लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
5. समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्ययित शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता-पिता या
अभिभावक को किसी जांच प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय प्रवेश से वांचित नहीं करेगा—
(क) बालक का आयु प्रमाण न होने पर,
(ख) धर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।
7. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा—
(एक) किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक का किसी कक्षा
में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
(दो) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जायेगा।
(तीन) किसी भी बालक से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना
अपेक्षित नहीं है।
(चार) प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार
एक प्रमाण पत्र वितरित किया जायेगा।

निर्मल जीवन

निर्मल जीवन प्रबन्धक
निर्मल जीवन प्रबन्धक
निर्मल जीवन प्रबन्धक

निर्मल जीवन प्रबन्धक स्कूल
Scanned by TapScanner

- पत्र) अधिनियम के संपादन के अनुसार नि:शुल्कताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तवेशन।
- 18) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, और
- 19) अध्यापक निजी आयापन क्रिया कलापो के निमित्त स्वयं को नहीं लगायेगा।
- 20) विद्यालय समुचित प्राप्तिद्वारा द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
- 21) विद्यालय छात्रों का भाग्यकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- 22) विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कार्यालय नहीं चलाई जायेगी।
- 23) विद्यालय, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (अधिनियम संख्या--21 सन् 1860) के अधीन पंजीकृत समिति या तद्वरगम प्रवर्तित किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।
- 24) विद्यालय, किसी व्यक्ति रागूर, या व्यक्ति संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिए संचालित नहीं किया जाता है।
- 25) लेखाओं की सम्परीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाना चाहिए और निम्नानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।
- 26) आगके विद्यालय को आवंटित गान्यता सम्बन्धित कोड संख्या 09/2016 है। कृपया इसको ध्यान रखा जाये और इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्र व्यवहार के लिए इस संख्यांक को उद्धृत करने का कष्ट करे।
- 27) विद्यालय ऐसे रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जायें और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु य विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किया जाये।
- 28) समिति के पंजीकरण के गवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
- 29) विद्यालय प्रबन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय-समय पर जारी किए गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।
- 30) सलमन अनुलग्नक तीन के अनुसार अन्य शर्तें।

भवदीय
 (राकेश सिंह)
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
 बलिया

- 30/10/20 दिनांक उपरोक्तानुसार।
- तल्लिप- निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
 2. राष्ट्रीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।
 3. जिला रामाज कल्याण अधिकारी, बलिया।
 4. खण्ड शिक्षा अधिकारी शिक्षा क्षेत्र बलिया।

(राकेश सिंह)
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
 बलिया
 निर्मल जीवन प्रशिक्षक समूह
 अतरौल इ.....

ध्यान विद्यालय
 निर्मल जीवन प्रशिक्षक समूह
 अतरौल, इलाहाबाद, बेल्गागा एंड
 बलिया